

(59)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.हिंदी 2001/रा.भा.1/12/2

नई दिल्ली, दिनांक 4.6.2002

अधिसूचना

राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) रेल भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ तथा उत्तर रेलवे के हरिद्वार रेलवे स्टेशन को, जहां 80 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करता है.

(आर.के.सिंह)

सचिव,
रेलवे बोर्ड

भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3 के उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ.

(विजय कुमार मल्होत्रा)

निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, बडौदा हाऊस, नई दिल्ली.

2. अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़

3. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने.

4. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003

5. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली

उत्तर रेलवे,

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाऊस,
नई दिल्ली.

सं. 843.ई/147/रा.भा.अ/ई.7

दि: 7 /6/2002.

मंडल रेल प्रबंधक,
उत्तर रेलवे,
मुरादाबाद.

विषय: अधिसूचना.

संदर्भ: आपका 30.4.02 का पत्र सं. 843.ई/147/अधि/
कर्म/10(4)/18.

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के पत्र सं.हिंदी 2001/रा.भा.1/12/2 दि. 4.6.02 (प्रतिलिपि संलग्न) में राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने उत्तर रेलवे के हरिद्वार रेलवे स्टेशन को, जहां 80 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित किया है ।

संलग्न: यथोक्त


(पी.एस.रावत)

कृते महाप्रबंधक/राजभाषा



प्रतिलिपि:

स्टेशन अधीक्षक, उ.रेलवे, हरिद्वार को सूचनार्थ.